रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 1983/भाद्र, 25, 1905
No. 410] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 1983/BHADRA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

आय-कर

का. आ. 667(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 67(अ) तारीख 6 फरवरी, 1982 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और राजस्व विभाग में भारत सरकार के पदेन अपर

सचिव, श्री पी. एस. भास्करन को, आयुक्त के ऐसे पूर्व अनुमोदन नहीं से, जो उक्त श्री पी. एस. भास्करन का, जब वे आयकर आयुक्त थे, अनुमोदन नहीं है, आयकर अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध आवेदनों पर आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 5394/फा. सं. 287/18/78-आई.टी. (इन्वे.-3)]

के. डी. गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

INCOME TAX

S.O. 667(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (II) of section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 67(E) dated the 6th February, 1982, the Central Government hereby notifies Shri P. S. Bhaskaran, Member, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, as the authority for the purpose of passing orders on applications against any order made under sub-section (5) of the said section by an Income-tax Officer with the previous approval of the Commissioner, not being the approval of the said Shri P. S. Bhaskaran when he was Commissioner of Income-tax.

[No. 5394/F. No. 287/18/78-IT(INV. III)]

K. D. GUPTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983